नीलाम विज्ञप्ति का प्रारूप

कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा (म.प्र.)

क्रमांक :167/1/2020 खण्डवा, दिनांक : 07/09/2020

नीलाम विज्ञप्ति

जिला न्यायालय, खण्डवा के आधिपत्य का शासकीय वाहन टाटा इण्डिका कार क्रमांक **MP-02-AV-2490** की (जहाँ है, जैसी स्थिति में है) खुली नीलामी सोमवार, दिनांक **05/10/2020** को प्रातः 11 बजे किया जाना है।

उक्त नीलामी में सम्मिलित होने हेतु माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा के नाम से देय राशि रू. 10,000/– का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में जमा कर, नीलामी में भाग लिया जा सकता है। नीलामी संबंधी शेष नियम व शर्तों की जानकारी कार्यालयीन दिवस/समय में नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय, खण्डवा में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।

जिला रजिस्ट्रार,
सिविल कोर्ट, खण्डवा (म.प्र.)

कार्यालयः जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड, खण्डवा (म.प्र.)

नीलामी की शर्तें

क्रमांक 167/2 /नजारत/2020 खण्डवा, दिनांक 07/09/2020

शासकीय वाहन टाटा इण्डिका कार क्रमांक MP-02-AV-2490 की नीलाम संबंधी कार्यवाही की निम्नांकित शर्तें नियत हैं :-

01. शासकीय वाहन टाटा इण्डिका कार क्रमांक MP-02-AV-2490 का न्यूनतम अपलेखन मूल्य रू. 80,000/- (शासकीय बोली) रूपये नियत है।

02. अपलेखित शासकीय वाहन टाटा इण्डिका कार क्रमांक MP-02-AV-2490 की नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने हेतु अमानत राशि के रूप रू. 10,000/- का बैंक ड्राफ्ट माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खंडवा के नाम से देय हो, सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर, नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने की पात्रता होगी।

03. अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट नीलामी की समाप्ति पर, असफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को वापस लौटाया जावेगा तथा सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को उनके द्वारा लगायी गयी बोली/स्वीकृत की गई पूरी राशि जमा करने के पश्चात् अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट लौटाया जावेगा।

04. सक्षम अधिकारी को किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार करने तथा नीलाम के आंशिक रूप से व पूर्ण रूप से रख लेने अथवा निरस्त करने तथा प्राप्त कम/अधिकतम बोली की राशि को स्वीकृति/अस्वीकृति का सम्पूर्ण अधिकार होगा।

05. नीलाम के संबंध में बोली या विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होगा एवं विवाद की स्थिति होने पर अंतिम निर्णय समक्ष अधिकारी का ही होगा।

06. अधिकतम बोली की राशि की स्वीकृति, नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् अनुपयोगी शासकीय वाहन टाटा इण्डिका कार क्रमांक MP-02-AV-2490 को क्रेता को प्रदान किया जावेगा।

07. शासकीय वाहन टाटा इण्डिका कार क्रमांक MP-02-AV-2490 को, अधिकतम बोलीकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के सात दिवस के अंदर बोली की सम्पूर्ण राशि जमाकर, वाहन को उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अमानत राशि, शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।

08. संबंधित शासकीय वाहन का निरीक्षण कार्यालयीन दिवस/समय में, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय, खण्डवा में उपस्थित होकर किया जा सकता है।

09. बोलीकर्ताओं द्वारा नीलाम में उपस्थित होकर वाहन को क्रय करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में, नीलाम संबंधी सम्पूर्ण शर्तें स्वीकार कर ली गयी है, ऐसा माना जावेगा।

10. शासकीय वाहन टाटा इण्डिका कार क्रमांक MP-02-AV-2490 को क्रय करने के पश्चात् क्रेता को उक्त वाहन को स्वयं के व्यय पर यथास्थिति में जिला न्यायालय, खण्डवा से अपने आधिपत्य में लेकर जाना होगा।

11. शासकीय वाहन विक्रय के पश्चात् कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी करने पर, उक्त शासकीय वाहन का नियमानुसार शासकीय पंजीयन विलोपित करने एवं क्रेता के नाम से रजिस्ट्रेशन एवं बीमा कराये जाने की सम्पूर्ण जवाबदारी व्यय सहित क्रेता की होगी।

जिला रजिस्ट्रार,
सिविल कोर्ट, खण्डवा (म.प्र.)